

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

9 DEC 2015


क्रमांक : प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक :

आदेश


राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम-5 के अन्तर्गत बायोकेमेस्ट्री विशिष्टता के चिकित्सक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 30-9-2014 को आयोजित बैठक की अनुशंषा को डॉ. हरजीत सिंह, सहायक आचार्य, बायोकेमेस्ट्री के प्रकरण में रिव्यू करने के लिए डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29-11-2015 को आयोजित की गई। कमेटी की अनुशंषा पर डॉ. हरजीत सिंह, सहायक आचार्य को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/13 दिनांक 05-11-2014 के द्वारा दिनांक 01-4-2011 से सह आचार्य, बायोकेमेस्ट्री के पद पर प्रदान की गई पदोन्नति के स्थान पर डॉ. सिंह को दिनांक 16-8-2011 से सह आचार्य, बायोकेमेस्ट्री के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

  
(सम्पत मल लोढ़ा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(मंगल चन्द मीणा)  
शासन सहायक सचिव